

प्र० अधिकारी
मा० निम्नांकित
दृष्टिगति

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

क्रमांक:- प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/19/३६०५

दिनांक: १२/२/१९

-आदेश:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

| क्र.सं. | नाम कार्मिक | पदनाम | कहाँ से | कहाँ को |
|---------|-------------------|------------------|------------|-----------|
| 1 | श्री दिपेश गहलोत | सफाई निरीक्षक -ा | जलोर | जोधपुर |
| 2 | श्री कुंदन कंडारा | सफाई निरीक्षक -ा | जोधपुर | करौली |
| 4 | श्री टीकम पंडित | जमादार | जोधपुर | कोटपुतली |
| 5 | श्री अजय हंस | सफाई कर्मचारी | बिलाडा | जोधपुर |
| 6 | आरती | सफाई कर्मचारी | पीपाड़ शहर | जोधपुर |
| 7 | दिव्या | सफाई कर्मचारी | सुमेरपुर | जोधपुर |
| 8 | श्री कनिष्ठ | सफाई कर्मचारी | बिलाडा | जोधपुर |
| 9 | श्री राजेश बारासा | सफाई कर्मचारी | जोधपुर | हनुमांगढ़ |
| 10 | संतोष | सफाई कर्मचारी | पीपाड़ शहर | जोधपुर |
| 11 | सुलोचना | सफाई कर्मचारी | जालौर | जोधपुर |
| 12 | श्री रविन्द्र | सफाई कर्मचारी | बिलाडा | नागौर |
| 13 | खुशबू | सफाई कर्मचारी | उदयपुर | जोधपुर |
| 14 | राकेश बारासा | सफाई कर्मचारी | फलांदी | जोधपुर |

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करायें।

नोट:-

- स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करायें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जायें।
- यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभौमी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जायें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करायें।
- यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जायें।
- वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जाये।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: १२/२/१९

क्रमांक : प.1(ग)()का/एसएमई/डीएलबी/19/८१०६-१६५९

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
- उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
- महापौर/अध्यक्ष/आयुक्त/सभापति/अधिशासी अधिकारी/नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
- संबंधित कर्मचारी श्री।
- सुरक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)